राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : पीएसएफए / 2020 / स्पे.–20 दिनांक : 06.04.2020

कार्यालय आदेश

विषय :– राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा नीलामी / खुली बिक्री / किराया क्रय पद्धति के तहत विक्रय की गई सभी प्रकार की सम्पत्तियों की राशि / मासिक किश्तें जमा कराने की समयावधि बढानें बाबत।

वैश्विक महामारी ''कोरोना कोविड–19'' के कारण केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सम्पूर्ण 'लॉक डाऊन' के आदेश किये हुए हैं जिसकी समयावधि दिनांक 25 मार्च से 14 अप्रेल 2020 तक है। ऐसी परिस्थिति के मद्देनजर राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा नीलामी / खुली बिक्री के तहत विक्रय की गई सभी प्रकार की सम्पत्तियॉ जिनकी नियमानुसार राशि जमा कराने की तिथि लॉक डाऊन अवधि के मध्य आ रही है, की राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 30.04.2020 तक बढाई जाती है।

इसी प्रकार मण्डल द्वारा किराया क्रय पद्धति के तहत आवंटित मकानों की किश्तें जमा कराने की तिथि हर माह की 15 तारीख निर्धारित की हुई है। उक्त लॉक डाऊन के मद्देनजर माह अप्रेल, 2020 की मासिक किश्त जमा करानें की अन्तिम तिथि भी दिनांक 30.04.2020 तक बढाई जाती है।

ह0
(पवन अरोडा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव –अध्यक्ष / आवासन आयुक्त / मुख्य अभियन्ता–प्र0 / द्वि / मु0, राजस्थान आवासन मण्डल।
2. सचिव / मुख्य सम्पदा प्रबधक / उप सचिव / निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल।
3. अति मुख्य अभिसन्ता–प्र0 / द्वि / ति0 / अति मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल।
4. समस्त उप आवासन आयुक्त / समस्त आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल।
5. संयुक्त निदेशक(एस.ए.) / जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार सूचना ईमल / व्हाटसएप / समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. उप वित्तीय सलाहाकार, राजस्थान आवासन मण्डल।
7. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल।
8. रक्षित पत्रावली।

ह0
(रेखा भास्कर)
वित्तीय सलाहकार